



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS
केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE
मुंबई MUMBAI

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION
सं. No. 160/2023

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन **कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री)** को भारत में **19 दिसंबर 2023** से 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

19 दिसंबर 2023 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।

(गुणवीर सिंह)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)** is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as an 'Online Payment Aggregator' in India with effect from **December 19, 2023** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this **19th day of December 2023**.

(Gunveer Singh)

Chief General Manager-In-Charge